





**फर्द अहकाम**  
**हरिसिंह बनाम सत्यनारायण वगै०**

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी  
केस संख्या 27/2024/टाव

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.05.2024	<p>यह वाद पत्र वकील वादी श्री सीताराम सैनी ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर एडी जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <b>उपखण्ड अधिकारी</b> फागी</p>	
21/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9/8/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <b>उपखण्ड अधिकारी</b> फागी</p>	
4/7/24	<p>वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर पत्रावली तलब फरमायी जाकर वाद विद्वा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 9.08.24 से आज पेशी में ली जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी अपने वाद का ओर आगे नहीं चलाकर विद्वा करना चाहता है। वादी ने प्र. पत्र में बताया की पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। इसलिए वादी का वाद विद्वा प्र. पत्र के आधार पर विद्वा किया जाता है। पत्रावली जैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दारिपल दफ्तर रहे।</p> <p style="text-align: center;"> <b>उपखण्ड अधिकारी</b> फागी, जिला-दूदू</p>	<p>हरिसिंह वगैरी</p> <p style="text-align: center;"></p>